न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 65/25 निर्णय दिनांक :– 11.02.2026
(जीसीएमएस संख्या 2025/299)

1. भजनाराम पुत्र फगलूराम जाति बिश्नोई निवासी ए–41, मुरलीधर व्यास नगर, मौसम विभाग के पास, बीकानेर।

–अपीलांटस

–बनाम–

1. ओमवीर सिंह भाटी पुत्र श्री प्रभात सिंह भाटी जाति राजपूत निवासी खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. आजाद भाटी पुत्र अजीज अहमद भाटी जाति मुसलमान निवासी रेडियों स्टेशन के सामने वाली गली, तिलक नगर, बीकानेर।
3. तोलाराम पुत्र श्री जेठाराम जाति ब्रहामण निवासी गोगेलाव, उतरादी ढाणी, हाल निवासी महेश्वरी भवन के पीछे, श्रीबालाजी, नागौर।
3. शंकरलाल पुत्र श्री रामलाल जाति साध निवासी जगदम्बा चौक श्री बालाजी जिला नागौर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, बीकानेर जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 16–04–2025
न्यायालय सहायक कलेक्टर(शहर), बीकानेर

2. अपील संख्याः 66/25 निर्णय दिनांक :–
(जीसीएमएस संख्या 2025/300)

1. भजनाराम पुत्र फगलूराम जाति बिश्नोई निवासी ए–41, मुरलीधर व्यास नगर, मौसम विभाग के पास, बीकानेर।

–अपीलांटस

–बनाम–

1. ओमवीर सिंह भाटी पुत्र श्री प्रभात सिंह भाटी जाति राजपूत निवासी खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. आजाद भाटी पुत्र अजीज अहमद भाटी जाति मुसलमान निवासी रेडियों स्टेशन के सामने वाली गली, तिलक नगर, बीकानेर।
3. तोलाराम पुत्र श्री जेठाराम जाति ब्रहामण निवासी गोगेलाव, उतरादी ढाणी, हाल निवासी महेश्वरी भवन के पीछे, श्रीबालाजी, नागौर।
4. शंकरलाल पुत्र श्री रामलाल जाति साध निवासी जगदम्बा चौक श्री बालाजी जिला नागौर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, बीकानेर जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2025
न्यायालय सहायक कलेक्टर(शहर), बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री जयचंदलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री भगवानाराम गोदारा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
4. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16–04–2025 व अंतिम डिक्री दिनांक 18–07–2025 जिसके द्वारा निर्णय व विभाजन की डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उक्त दोनों पत्रावलियों में समान पक्षकार, समान भूमि व समान तथ्य होने के कारण दोनो अपीलो का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। आदेश की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही ग्राम नालबड़ी स्थित खेत खसरा नं. 496 तादादी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

12.65 हैक्टर मूल खातेदार हरिकिशन पुत्र भैरूराम जाति उपाध्याय के नाम से रही है। जिसमें से अपीलांट ने जरिये बैयनामा दिनांक 20.03.2012 को गोपीराम के साथ 9.6220 हैक्टर संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर बराबर खरीद कर रखी है और खरीद के दिन से मुताबिक बैयनामा जोधपुर जैसलमेर बाई पास सडक पर उतरी पश्चिमी दिशा में काबिज होकर अपना हिस्से की भूमि को काश्त कर रहा है। मौके पर तारबंदी की जाकर रकबा काश्त किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा उक्त तथ्य को छुपाते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 4 से मिली भगती कर अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का एक दावा दिनांक 10.12.2024 को प्रस्तुत किया जिसमें पेशी आईन्दा तलबी हेतु दिनांक 21.01.2025 रखी गई। 21.01.2025 को आईन्दा पेशी 18.03.2025 रखी गई तत्पश्चात उक्त तारीख से पूर्व ही दिनांक 18.02.2025 को पत्रावली पेशी में लेकर जवाब दावा शामिल करवाया गया और पत्रावली आईन्दा 27.02.2025 को पूर्व निर्धारित पेशी बता कर रखी गई। जबकि 21.01.2025 की फर्द अहकाम में ओवर राईटिंग की हुई है अर्थात अमलाराज द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 को फायदा पहुंचाने की गरज से अपीलांट पर बिना प्रोपर तामिल करवाये, आदेश एवं डिक्री दिनांक 16.04.2025 को प्राथमिक तौर पर पारित की तथा तहसील बीकानेर से इकतरफा प्रस्ताव लेकर फिर से अपीलांट को अनुपस्थित बताकर जैर अपील आदेश एवं डिकी दिनांक 18.07.2025 को पारित की है, जो न्याय की मंशा एवं मेडेन्टरी प्रावधानों के प्रतिकुल पारित होने के कारण स्वतः शुन्य है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 27.02.2025 में मोहर लगा कर 18.03.2025 व 18.03.2025 को मोहर लगा कर 16.04.2025 पेशी मुकर्रर की है और 16.04.2025 को आदेश पारित करते समय अंकन किया है कि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रतिवादी सं. 4 (अपीलांट) के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ली जा कर प्राथमिक डिक्री जारी की जावें अर्थात उक्त आदेश से पूर्व अपीलांट के खिलाफ कोई इकतरफा कार्यवाही नहीं की गई। उसी दिन इकतरफा कार्यवाही कर इकबालिया जवाब के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 के मध्य खाता विभाजन का प्रस्ताव मंगवाने के आदेश पारित किये है। तत्पश्चात् अपीलांट की अनुपस्थिति में सारी कार्यवाही विधि के प्रावधानों के प्रतिकुल कर अंतिम डिकी दिनांक 18.07.2025 को पारित की है। जो खाता विभाजन करवाने की दिनांक लिखी है, वह खाली छोड रखी है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं. 1

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ता 4 द्वारा दुर्भि सन्धि कर अपीलांट की अच्छी सुधार की हुई भूमि को हासिल करने की बदनियती से जैर अपील आदेश एवं डिक्री अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त की गई है, जिसकी इजाजत कानूनन किसी को भी नहीं है। इसलिए आदेश एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.04.2025 और उक्त के आधार पर जैर अपील अंतिम डिकी दिनांक 18.07.2025 स्वच्छ न्याय की परिभाषा में नही होने के कारण स्वतः ही खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश व डिक्री जारी करते समय जो अपीलांट पर जो तामील करवाई है, उसमें लिखा है कि सायल ने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया। जो बनावटी है, क्योंकि अपीलांट एक जनप्रतिनिधि है और लम्बे समय से गांव में सरपंच व बीकानेर जिले का उप जिला प्रमुख भी रह चुका है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक तामील कुनिन्दा की फर्जी रिपोर्ट को आधार बना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि न्यायालय को चाहिए था कि तामील की अन्य प्रक्रिया का भी पालन करते ताकि अपीलांट पर तामिल होती और सही तथ्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत होते, परन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 व अमलाराज की दुर्भिसंधि के कारण उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री न्याय एवं आवश्यक प्रक्रिया की स्पष्ट त्रुटि करते हुए जैर अपील आदेश एवं डिक्री दिनांक 18.07.2025 पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब जवाब दावा के साथ काऊन्टर क्लेम आ चुका था तो न्यायालय को चाहिए कि वह तनकी बना कर दोनो पक्षों की साक्ष्य लेकर संलग्न रिकार्ड को प्रदर्श करवा कर ही नियमानुसार डिक्री पारित करता, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2024 को प्रस्तुत दावा को जल्दी जल्दी पेशी में लेकर तामिल प्रक्रिया का दुरूपयोग कर दिनांक 16.04.2025 को रेस्पोडेन्टान को फायदा पहुँचाने की गर्ज से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिकुल अपीलांट के खिलाफ तामिल मान कर एक पक्षीय कार्यवाही करने के साथ साथ जो प्राथमिक डिक्री जारी की है, वह स्वतः शुन्य है, क्योंकि वादी द्वारा जो रिकार्ड पेश किया गया उसे साक्ष्य के द्वारा प्रदर्श नही करवाया है। ना ही वादी का वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है, जो कि मेडेन्टरी प्रावधान है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 ता 3 स्वयं उपस्थित आये है जबकि पत्रावली में उनके नाम से ना तो सम्मन भरे गये है और ना ही लौटकर आये है बल्कि दुरिभ संधि से उनकी तरफ से कोई वकील हाजिर किये बगैर वकील की भाषा में जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया है

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जिसमें विभिन्न खसरों का अंकन करते हुए अपने अपने हिस्से का विभाजन चाहा है। जबकि उनको काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का जो वाद हेतुक बताया गया है, वो विधिक व्यक्ति ही अंकन कर सकता है के अलावा जवाब के पैरा 5 में जो खाता विभान करवाने की दिनांक लिखी है वह खाली छोड़ रखी है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा दुरिभ संधि कर अपीलांट को अच्छी से अच्छी सुधार की हुई भूमि को हासिल करने की बदनियती से जैर अपील आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक कलेक्टर, बीकानेर (शहर) दिनांक 18–07–2025 निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की फर्जी तामील बताते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के बारे में तब पता चला जब रेस्पोडेन्ट संख्या 4 शंकरलाल द्वारा इकतरफा तौर पर फर्जी तामील बताकर अपने हक में निर्णय करवाकर दिनांक 18.07.2025 की अंतिम डिकी की आड़ में प्रार्थी के खेत में जबरिया कब्जा करने की नियत से दिनांक 16.09.2025 को आया और धमकी दी कि न्यायालय से हमने हमारे हक में तुम्हारे कब्जे की भूमि का खाता विभाजन करवा लिया है और हम इस पर कब्जा करके ही रहेंगे। इस पर प्रार्थी ने अपने काश्तकारों के सहयोग से उसे कब्जा करने से रोका और तत्काल ही वकील से सम्पर्क कर उक्त आदेश एवं डिकी की पत्रावली की पतारसी कर नकल हेतु दिनांक 18.09.2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जो नकल बाद तैयारी दिनांक 25.09.2025 को प्राप्त हुई। तब प्रथम बार प्रार्थी/अपीलांट को दिनांक 25.09.2025 को ज्ञान हुआ कि किस तरह अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट के खिलाफ इकतरफा डिक्री हासिल की है। तत्काल ही कानूनी राय ली जाकर बिना कोई देरी किये, जानकारी से अपील आज दिनांक 26.09.2025 को अंदर मियाद पेश की जा रही है। जानबुझ कर देरी से अपील पेश करने का दोषी प्रार्थी नहीं रहा है। न्याय हित में अपील अंदर मियाद स्वीकार की जानी आवश्यक एवं न्यायोचित है।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट व अन्य सह–खातेदारान की संयुक्त खाते की खातेदारी कृषि भूमि रोही ग्राम नालबड़ी स्थित खेत खसरा नं. 496/2 तादादी 3.3600 तादादी 12.65

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हैक्टर दर्ज रिकार्ड है। जिस पर रेस्पोडेन्ट अपने हक व हिस्सा 485/1252 यानि 4.85 हैक्टेयर कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 सह खातेदार के मध्य खाता विभाजन नही हुआ है। इसलिए उक्त भूमि के खाता विभाजन हेतु रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड पहले प्राथमिक डिक्री व तत्पश्चात अंतिम डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सभी पक्षकारो को तलब किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन की सहमति प्रदान की गई। अपीलांट न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामील रजिस्टर्ड नोटिस से करवाई गई जिस पर अपीलांट द्वारा नोटिस लेने से इंनकार करने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से प्रकिया का पालन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही सभी पक्षों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। अपीलांटस द्वारा केवल मात्र तामील प्रकिया पर प्रश्न उठाये है।

प्रकरण में अपीलांट्स यह बताने में असमर्थ हुए है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी विभाजन की डिक्री से किस प्रकार की कोई क्षति हुई है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–04–2025 व 18–07–2025 के विरूद्व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व मनगढ़त है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियाद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन दिनांक 16–04–2025 व 18–07–2025 के विरूद्व अपील दिनांक को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलांट की तामील विधिवत नही करवाई गई जिससे अपीलांट न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सका और अपीलांट की गैर मौजूदगी में प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित की गई है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25–09–2025 को हुई उक्त जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट्स को विधि सम्मत तरीके से नोटिस जारी किये गये थे बावजूद सूचना अपीलांट न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया। अपीलांट द्वारा अब अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की है। तथा विलम्ब इतना अधिक भी नही है कि जिसे गुणावगुण पर वरियता दी जाकर अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज किया जावे। तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियाद के बिन्दु अर्थात मियाद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियाद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपीलांट्स की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट द्वारा निम्नाकिंत आधारो पर अपील पेश की गई है–

ए– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो (अपीलाट) की सम्यक तामील के बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

बी– विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट के कब्जे शुदा रकबे पर प्रतिवादी संख्या 3 शंकरलाल को नक्शे में दर्शाया है।

उभय पक्ष की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन पश्चात इस संबंध में न्यायालय का विनिश्चय निम्नानुसार है–

ए– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुल 4 पक्षकार प्रतिवादी के रूप में संयोजित थे जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर खाता विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर करने पर अपनी सहमति प्रदान की गई। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4/अपीलांट को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस कमांक 116 दिनांक 13–02–2025 प्रेषित किया गया। बाद तामील रिपोर्ट होकर पुनः नोटिस न्यायालय को प्राप्त हुआ जिसमें अंकित किया गया था कि साहिल/अपीलांट ने नोटिस लेने से मना किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 4/अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस सूरत में यह सम्यक तामील की श्रेणी में शुमार किया जाएगा। यद्यपि सम्यक तामील का प्रश्न अपीलीय न्यायालय के स्तर पर उठाना उचित नही है। इस न्यायालय के समक्ष जब उभय पक्ष उपस्थित है तो अपीलांट को अपना पक्ष गुणावगुण पर रखकर साबित करना होगा।

बी– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बनाया जाना प्रकट होते है जिन पर तहसीलदार के हस्ताक्षर अंकित है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शे के अवलोकन से यह प्रकट होता है

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कि सभी सहखातेदारो को उनके हक, हिस्से के मुताबिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया गया है जिसमें सभी सहखातेदारो को सड़क से चिपती भूमि दी गई है। अपीलांट का इस विभाजन प्रस्ताव पर यह ऐतराज है कि अपीलांट के कब्जे की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 शंकरलाल को दर्शाया गया है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि विभाजन प्रस्ताव में अगर शंकरलाल के स्थान पर अपीलांट का कब्जा एक बार के लिए मान भी लिया जाए तो इससे अपीलांट की भूमि पूरी नही होती है। इससे यह उपधारणा की जाती है कि अपीलांट का शंकरलाल (प्रतिवादी संख्या 3) को दर्शाई गई भूमि पर कब्जा नही था। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव नियम 18 ता 21 की पालना करते हुए बनाये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने का अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारो को दिये जाने के बाद अपीलाधीन आदेश से अंतिम डिक्री पारित की गई है। इस अंतिम डिक्री से किसी पक्षकार का हक हिस्सा प्रभावित नही हुआ है। जहॉ तक इस संयुक्त खाते की भूमि में विशिष्ट भू–भाग पर अपीलांट द्वारा अपना कब्जा होना अभिकथित किया है परन्तु अपीलांट द्वारा इसके समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है जिससे कि प्रश्नगत भूमि में विशिष्ट भू–भाग पर उसका कब्जा होना साबित हो। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक कलेक्टर, बीकानेर (शहर), दिनांक 16–04–2025 व 18–07–2025 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 11-02-2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर